तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुखदेव राम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 385/2022	
21-12-2022	अपीलार्थी सुखदेवराम पता, गांव डोडियाल सोयला, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.08.2022 में (1) मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र कमांक 353747959784066 पेश करते हुए धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट भोपालगढ न्यायालय में आज तक कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 2455 दिनांक 12.12.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी सुखदेव राम द्वारा ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर प्रस्तुत सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.22 को सूचना उपलब्ध करवा दी गयी। प्रार्थी द्वारा राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ में दर्ज विचाराधीन एवं निरस्तारण धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरणों की सूचना चाही गई है। आगे यह भी बतलाया कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नोतर फार्म में सूचना चाही गई है तथा सूचना अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया व इस संबंध में प्रार्थी स्वयं हितबद्ध पक्षकार या अन्य पक्षकार होने की स्थिति में राजस्व कोर्ट मैनुअल के तहत निर्धारित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार कोर्ट फीस/नकल फीस जमा करवा करवाकर प्रकरणों की सूचना प्राप्त कर सकता है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत होने के साथ साथ प्रश्नोतरी भी है अतः ऐसी स्थिति में सूचना देय नहीं है अतः लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	